से चल रहा है, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि मॉडल भी काफी पुराने हैं और वे आज के योग्य नहीं हैं, उन्हें भी दुरुस्त करने की बात है। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यह फैंसिंग का कार्य जल्दी से जल्दी पूरी हो सके।

नदियों पर हम क्या कर सकते हैं, यह सवाल भी हमारे सामने था। हमने वहां पर फलोटिंग पेट्रोल स्टेशन्स बनाने की कोशिश की है और वे फलोटिंग स्टेशन्स हमारे पास तैयार भी हैं, लेकिन किसी वजह से बांग्लादेश से वहां नहीं जाया जा सकता है, इसलिए वे वहीं पर रखे हैं और किस प्रकार से हम उन्हें वहां पर ले जाकर उनका उपयोग कर सकते हैं, यह भी हम जरूर देखेंगे।

मैं इस सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक कमेटी बनी होती है और वह कमेटी हर वर्ष मिलती है, एक बार वहाँ पर और एक बार यहाँ पर। उसमें हमारे होम सेक्रेटरी जाते हैं और उनके साथ डी०जी० भी जाते हैं। जैसाकि श्री महाजन साहब ने पूछा कि क्या हायर लैवल पर भी उसे उठाने की कोशिश होगी, तो मै उन्हें बताना चाहूंगा कि यह कोशिश अवश्य की जाएगी। यदि सार्क कॉन्फ्रैंस हो जाती तो शायद उसमें यह चर्चा भी हो जाती, लेकिन सार्क में भी हम बाइलैट्रल इश्यूस नहीं उठाते हैं। सार्क के रूल्स के मुताबिक उसमें बाइलैट्रल इश्यूस नहीं उठाए जा सकते हैं,लेकिन इसके ऊपर बात अवश्य होगी और इस बारे में हम अवश्य देखेंगे। यह ऐसी घटना है, एक ऐसा प्रान्त वहां पर बनता जा रहा है, जहां पर ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है और इसलिए हम बांग्लादेश को बता रहे हैं कि आतंकवाद ऐसी चीज है, जिसका नुकसान किसी एक ही देश को या एक ही पार्टी को नहीं होता है, वह दोनों ही पार्टियों को होता है। उसे रोकने की कोशिश वहां पर भी होनी चाहिए और यहां पर भी होनी चाहिए। केवल यहां पर कोशिश हो और वहां पर नहीं हो अथवा वहां पर कोशिश हो और यहां पर नहीं हो तो यह बात जमती नहीं है, ये सभी तथ्य हम उनके ध्यान में लाए हैं। आपने यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और मैं जितना जवाब दे सकता था, मैंने दे दिया है। आगे, आपकी यदि इस पर चर्चा की इच्छा है, तो जैसा मुझे आदेश किया जाएगा, वैसा ही होगा।

NEED TO PLACE THE PHUKAN COMMITTEE REPORT AND THE VIGILANCE COMMISSIONER'S REPORT RELATING TO DEFENCE DEALS

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH): Sir, I take this opportunity to make two requests, while making the substantive submission, about which, alongwith other hon. Members of the NDA, I have sent an earlier request to you. I wish to make two other requests. Firstly, shortly hereafter, the hon. Prime Minister is going to make a statement on the two important visits- visit by the Prime Minister of China,

as also the President of Pakistan. It would perhaps be, best if we have separate discussion rather than clarification after his statment. This is one request.

Sir, the other issue is that during Question Hour, a number of hon. Members had expressed the concern about certain items that appeared in regard to some transactions or report from South Africa. I think it is the best that whatever submission I have to make, along with other enquiries, that issue may please be fully enquired into.

Sir, the third thing about which we had made our submission earlier related to the question of affidavits as also the temporary impasse that we had in the House yesterday. It is our view that let there be a full discussion on that issue, and, to enable the House to have a proper discussion, let the Phukan Commission report be placed on the Table of the House. I think the Commission of Enquiry enjoins upon the Government that when a report is submitted, within six months, it must come forward with an Action Taken Report. Sir, it would be good if we have that Report and the Action Taken Report on that, because then there would be a fuller discussion on the issue. There is a second aspect that one of the affidavits- I am not a lawyer, I have limited knowledge of this extremely complex subject of law—mentions, and perhaps, quotes the Vigilance Commissioner's Report. It would be our request that the vigilance Commissioner's Report is also placed on the Table of the House so that the discussion on procurement is really a full-fledged discussion. I take just one minute more. Sir, in the letter you would have observed that we have mentioned various other issues connected with procurement. Since it is a complex subject, it is important that all of us address this issue of procurement comprehensively. Let there be a discussion, but to enable us to have a proper discussion, let the reports, the CVC's report and the other documents be also placed on the table of the House.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, please allow me to speak for one minute. Sir, I really don't understand, with my greatest regards to the Leader of the Opposition, as to why this....(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए उनको।

श्री नीलोत्पल बसु: सर, यह तो अजीब-सी बात है। Then have a different kind of Parliament. There are differences of opinion on many things. You want to hear only your voice, this is not democracy.

श्री सभापति: डिसकशन नहीं है।....(व्यवधान) बहस कहां हो रही है।.....(व्यवधान) यहां कुकन कमीशन की रिपोर्ट के मामले में .....(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: मेरा कहना यह है कि आपके निर्देश से, Sir, what I wanted to say is that under your instructions, the Business Advisory Committee is going to meet today at 3 o' clock. In the morning itself, we have been given the Revised List of Business, where the Defence Minister's statement is listed, and, it is all within order that we can always discuss these issues in the Business Advisory Committee, and, we can convert the statement into a full-fledged discussion. So, I don't know what the provocation is to make this submission separately. I was also very surprised to hear from the Leader of the Opposition about tabling of the CVC report, because in the past, we had a situation where the CVC report was denied to the Public Accounts Committee.

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।.....(व्यवधान) यह खत्म करने दो।....(व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: This increased emphasis on transparency is amusing to me .....(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप एक मिनट बैठ जाइए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, how is it that certain cases will be referred here, and, certain cases will not be referred here. Mr. Bhandari has also got an issue.....(*Interruptions*)...

श्री सभापति: पहले इस एक मामले को खत्म होने दीजिए।.....(व्यवधान) ..

श्री दीपंकर मुखर्जी: चार मामले उठाए हैं।

श्री सभापति: चार मामले नहीं है, एक ही मामला है। यह गलत बात है।....(व्यवधान)... Let the Government say something.

आप मेरी बात सुन लीजिए।....(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।....(व्यवधान)... यह मामला....(व्यवधान)...देखिए, आप ऐसा मत करिये।....(व्यवधान)...

श्री राम देव भंडारी (बिहार): रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार ....(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।....(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): आपने उनको मौका दिया, उन्होंने अपनी बात कही।....(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये।....(व्यवधान)...आप किस बात के लिए कह रहे हैं?....(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, एक मिनट। ....(**व्यवधान**) ...

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय सभापति जी,....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप अपनी बात के लिए कह रहे हैं।....(**व्यवधान**)... आप अपने क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जवाब हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अलाऊ कर सकता हूं। मंत्री जी, आप बोलिए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय सभापति महोदय, इस बात को हम सब लोग भली-भांति जानते हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया के उपरांत कमीशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है। मान्यवर, वैंकट स्वामी कमीशन का गठन 24 मार्च , 2001 को तहलका वीडियो टेप्स में जिन बातों का उल्लेख किया गया था और जो आरोप लगाये गये थे, उसकी जांच के लिए किया गया था। उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि जस्टिस वैंकट स्वामी ने अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया और उनके स्थान पर जस्टिस फूकन आये, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को सम्भाला और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वह तीन भाग में, तीन पार्ट्स में अपनी इन्क्वायरी करेंगें।

मान्यवर, जस्टिस वैंकट स्वामी कमीशन का गठन, जस्टिस फूकन कमीशन का गठन एनडीए के कार्यकाल में हुआ। जस्टिस फूकन ने अपनी पार्ट-1 रिपोर्ट 4 फरवरी, 2004 को एनडीए के कार्यकाल में प्रस्तुत की और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, उस समय जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस एनडीए के कार्यकाल में तय किये गये थे, उन्ही के परव्यु में जस्टिस फूकन ने तीन भाग में इसकी जांच करने का उल्लेख किया था। पार्ट-1 रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, पार्ट-2 और पार्ट-3 रिपोर्ट अभी अशेष है और अब यह सीबीआई को हैंड ओवर की गई है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि कौन ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, यह ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए। आप खत्म करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: अब आप सुनने का साहस रखिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: गलत मत बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए। लेट हिम फिनिश। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: आप सुनिये तो सही, आप अपना धैर्य मत खोइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: चलिए, चलिए। आप बोलिए, आप बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: हमने नेता विपक्ष को सुना है। आप कृपापूर्वक सुनिएगा। मान्यवर, जो पार्ट-2 और पार्ट-3 है और ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो extent of offences से संबंधित था, जो procedural violations से संबंधित था, जो misconduct से संबंधित था, जो impropriety and guilt of individuals involved से संबंधित था, मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, वह जांच अभी शेष है, जो पार्ट-2 और पार्ट-3 में है और जिसकी इन्क्वायरी अभी सी॰बी॰आई॰ कर रही है।

मान्यवर, जहां तक पार्ट-1 रिपोर्ट का प्रश्न है क्या यह सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा सकती है, इसके लिए हमने विधि विभाग से ओपिनियन मांगी है। हमने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या ए॰टी॰आर॰ के साथ जो कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के सैक्शन 4 में प्रॉवीजन है कि ए॰टी॰आर॰ के साथ कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है और जो रिपोर्ट मिली है वह पार्ट रिपोर्ट 'अ' रिपोर्ट है, फिर भी, विधि विभाग की ओपिनियन आने के बाद, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार को सदन में वह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने में, यदि विधि विभाग हमें ओपिनियन देता है, तो कोई ऐतराज नहीं होगा। जहां तक सदन के माननीय नेता विपक्ष ने कहा है कि वह इस पर डिसकशन करना चाहते हैं, हम इस पर डिसकशन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं इस रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण से जो सी॰बी॰आई॰ को ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, वह प्रभावित तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी हमने विधि विभाग से ओपिनियन चाहा हैं जो भी ओपिनियन आयेगा, जो भी मत आयेगा, तदनुसार हम कार्य करेंगे, लेकिन फिर मैं इस बात की पुनरावृत्ति करना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय डा॰ मनमोहन सिंह जी यहां उपस्थित हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि इस मामले में हमको सारदर्शिता बरतनी चाहिए। इन्हीं के कार्यकाल की रिपोर्ट, जिस कमीशन का गठन इन्होंने ही किया और इन्ही के कार्यकाल में, वह प्रस्तुत की गई। उसे यदि विधि विभाग हमें यहां सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति देगा तो वह हम यहां प्रस्तुत कर देंगे।..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: एक मिनट। मैं ऐसा समझता हूं कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको 6 महीने के अंदर इस प्रकार की रिपोर्ट एटीआर के साथ पेश करनी चाहिए।

श्री विजय सिंह यादव (बिहार): इन्होंने पहले क्यों नहीं की?

श्री सभापति: पहले नहीं किया तो पहले वाले सजा भुगतेंगे।..(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): पहले गवर्नमेंट तीन महीने में चली..(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): चार फरवरी 2004 को रिपोर्ट आयी और 6 फरवरी को लोक सभा डिजॉल्व हो गयी।..(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट आप बैठिए तो सही। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अनुसार रिपोर्ट पेश करना आवश्यक है। आप पेश कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, मेरा क्या हुआ? मैंने आपको लिखकर दिया था। ...(**व्यवधान**)... मैंने एक सबमिशन दिया था। 6 महीने से ..(**व्यवधान**)... मैंने आपको चिटठी लिखी थी। मैंने आपको दो बार अर्ज किया है कि सदन में जो पब्लिक सैक्टर बेचे गए हैं, उस घोटाले के बारे में सीएजी की रिपोर्ट आनी थी। अभी तक पांच साल हो गए हैं, वह रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री सभापति: नहीं आयी तो ..(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप इनसे पूछिए कि वह रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आयी? सीएजी की जो घोटाले के संबंध में रिपोर्ट है, वह अभी तक क्यों नहीं आयी? पांच साल तक-2001 से 2006 तक इस हाऊस में ऐश्योरेंस दिया गया, statistics are available ...(*Interruptions*)..

श्री सभापति: मैं वह ...(**व्यवधान**)... एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सीएजी की रिपोर्ट ..(**व्यवधान**)... घोटाला हुआ है।..(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं उन रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा हूं जो कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट के मातहत कमीशन अप्वाइंट किया गया हो, मैं केवल उसकी रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

N. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, the report has to be submitted in full and not in parts. ...(*Interruptions*)..

श्री यशवंत सिन्हा (झारखंड): ये क्या छुपाना चाहते हैं? ..(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): अगर चर्चा करेंगे तो आपको कष्ट होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: क्या-क्या घोटाला हुआ है, पता चलेगा। ...(**व्यवधान**)... होटल क्यों बेचा गया? ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: होटल का पैसा खा गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: होटल बेचकर खा गए। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: बोफोर्स का क्या हुआ? ...(**व्यवधान**)...

नेता विरोधी दल (श्री जसवन्त सिंह) सभापति महोदय, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं माननीय मंत्री जो संसदीय विभाग का कार्यभार देखते हैं, बड़ी कुशलता से देखते हैं - उनके साथ किसी विवाद में उलझूं। मेरा यह मानना है कि जस्टिस फूकन ने जो रिपोर्ट दी है, वह इंटेरिम रिपोर्ट नहीं है, वह फाइनल रिपोर्ट है, केवल इतना ही कहना चाहता हूं। इसलिए यह लाजिमी हो जाता है कि ...(**व्यवधान**)... वह इंटेरिम रिपोर्ट नहीं है, फाइनल है और क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अपने आपमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट का विषय है - मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता - हम सबने मिलकर ही उसको इतना कॉम्पलैक्स बना दिया जिसकी वजह से आज हम केवल एक दूसरे पर प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम जितनी भी हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई फौजें हैं, उनके ऊपर भी एक प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं इसलिए जो कुछ कहें, बहुत ध्यान से कहें, It is a very important aspect ...(*Interruptions*)...

श्री नीलोत्पल बसु: सुरक्षा के लोग तो तहलका से ...(**व्यवधान**)... ये क्या बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, यह सब क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप चाहते क्या हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: स्कैम्स के चलते जो-जो ऑफिसर्स दोषी पाए गए थे, तुरंत कोर्ट मार्शल करके उनको तो उन्होंने पनिशमेंट दे दी लेकिन जहां तक ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह ज्यादा अच्छा होगा ...(**व्यवधान**)... अभी फूकन कमीशन के मामले में ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: यह क्या मजाक है?

श्री नीलोत्पल बसु: मजाक आप लोग कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, इस पर आप फैसला करेंगे, नेता विपक्ष जब खड़े हों या सदन के नेता जब खड़े हों तो सदन में इस प्रकार से होगा? ...(**व्यवधान**)... इस तरह से कार्यवाही चलेगी? यह क्या बात हुई ? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप उनको बोलने दीजिए, वे अब तक खत्म कर देते। आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: दिन भर विपक्ष के नेता खड़े रहेंगे क्या? दूसरे और लोग भी हैं या नहीं? ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवंत सिंह: चेयरमैन साहब, सदन में नोक-झोंक, टोका-टाकी, सदन के चरित्र और स्वभाव का एक अंग है। हमारे कुछ माननीय सदस्य ज्यादा विचलित हो जाते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सुबह कुछ लोगों को तकलीफ हुई, किसी अखबार में कुछ छप गया था, उसको लेकर - साउथ अफीका के बारे में - उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। पूरी जांच होगी, जिस तरीके से जांच करना चाहें, कर लें। हम स्वयं चाहते हैं कि इसमें जब तक हम इस प्रकार से, unless the two Houses, unless we begin to address this question with utmost seriousness and a sense of responsibility, not as a means or mechanism of accusation and counter-accusation- the current status of weapons procurement is beign stymied and the decision—making has come to a standstill—as we are the perpetrators of all this, we will not be improving it. It is with that reason in mind, I say that the Justice Phuken Commission Report should be placed before the House. A mention of the CVC Report was also made. I will take a minute to explain why the CVC Report should also be placed before the House. I was responsible for not doing that. I was asked of my views about the CVC Report. The then Defence Minister said, "I am inclined to give it to the House. What do you say, Jaswant?". I said, "If you set in motion this business of giving every organisation's report to the House, we will be setting a precedent that will not be good". I myself said, "Don't do it". Now, there is a reference to the CVC Report in the affidavit of the Government. That is why I am saying, let the CVC Report also come. All this is necessary. That is why I am saying this. ...(*Interruptions*)..

SHRI NILOTPAL BASU: That is not an explanation. ...(*Interruptions*)..

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: That is the explanation. ...(*Interruptions*)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: Everything is in court. ...(*Interruptions*)..

SHRI NILOTPAL BASU: No, Sir. मैं आपसे पूछना चाहता हूं। I want to ask you this, Sir. Yesterday, in the morning, when this question came up, when certain hon. Members sought to raise this question, you got up and asked them whether they wanted a discussion of the kind that the hon. Leader of the Opposition is now asking. There was no reply from the hon. Members. ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: It is absolutely wrong. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister speak. ...(*Interruptions*)...

श्री यशवंत सिन्हा: नहीं सर, ये गलत बोल रहे हैं। हमको बोलने नहीं दिया।

SHRI NILOTPAL BASU: Then they refused to have a discussion and disrupted the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: They did not permit me to speak. ...(*Interruptions*)... अब ये उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: They are saying the same thing today. Who was responsible for the disruption of the House yesterday? ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आपने बोल लिया? अब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद में आप बोल लेना। मैंने आपको कहा है कि पी०एम० का स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद बोलें। माननीय सदस्य जो कह रहे थे, कल के विषय में और आज के विषय में अंतर है। ...(**व्यवधान**)... मेरी सुन लीजिए। कल इस मामले को जब ये लोग प्रश्नकाल में उठाना चाहते थे, तब मैंने कहा था कि इस पर चर्चा हो जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी - यह बात हुई थी। फुकन कमीशन की रिपोर्ट हाऊस में ले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह क्वेश्चन अब मेरे सामने आता है तो मैं कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट से बंधा हुआ हूं। ...(**व्यवधान**)... आप मुझे तो बोलने दीजिए मुझे तो बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मेरी सुन लीजिए। ...एक मिनट, बैठ जाइए! मैं कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट से बंधा हुआ हूं। कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है और वह व्यवस्था मैंने बता दी, पर माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि राय लेकर हम देंगे, तो वे राय ले लें और इसको दे दें।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir, may I respond? Since the Leader of the Opposition has mentioned this issue, it must attract our careful attention. There are two issues. One is regarding the Justice Phuken Commission Report. There was a legal controversy on this. I can assure the Leader of Opposition, and I will confide

in him also, since he has left it half way, that there was a view, a very serious view, in the Ministry that it could not be treated as a Report. But since it relates to a public issue, we have got it examined now and we are also preparing the action that can be taken on that Report. If the House and the Chair demand that there should be a discussion, we will definitely have a full debate, including on the Report, in the House. It will also be presented to the House.

But you know that every Report has to be studied and, then, an ATR also has to be filed according to the rules. So, there will be no let up on this issue, I can assure you. About the affidavit, I am very sorry, so much confusion is being created. The Supreme Court had a Public Interest Litigation.

श्री सभापति: वह छोड़िए ... वह छोड़िए।

SHRI H.R. BHARDWAJ: Therefore, affidavits are every day filed, one after the other, to satisfy the court. There is nothing personal in it, and a lot of confusion is being created. We will clear the whole mess, and we will have a full-fledged discussion.

श्री प्रमोद महाजन: सर, ये एक वाक्य में कह दें कि कब ले करने वाले हैं?

SHRI H.R. BHARDWAJ: We have to do our work. Give us time. ...(*Interruptions*)... During this Session ...(*Interruptions*)...

SHRI EKANATH K. THAKUR: (Maharashtra)*

श्री सभापति: आप बैठिए ... बैठिए।

SHRI ARUN JAITLEY (Gujarat): Sir, the Report was given to the Government on the 4th of February last year, 2004. Six months expired in August, 2004. After August, 2004, you have referred to the rules. The Law Minister is here. The Act, *i.e.* the Commissions of Inquiry Act, mandates, there is no discretion., it says "that the appropriate Government shall cause to be laid before each House of Parliament the Report, if any of the Commission of Inquiry, made by the commission under sub-section (1) with a Memorandum of Action taken within a period of six months of the submission of the Report to the appropriate Government. No delay can be accepted". There was a provision introduced in 1986 that for public interest reasons, Government can hold the Report back from the House. That

* Not recorded

provision was repealed in 1990. Therefore, except duing that brief period of four years, the Government has no discretion; it has to lay the Report on the Table of the House within a period of six months.

SHRI EKANATH K. THAKUR:*

श्री सभापति: आप बैठिए... बैठिए। ...(*Interruptions*)... Let him speak. ...(*Interruptions*)...Please take your seat.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, with regard to the ...(*Interruptions*)..

SHRI EKANATH K. THAKUR:*

MR. CHAIRMAN: बैठिए। आप उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, मैं आपको allow नहीं कर रहा हूं।

SHRI H.R. BHARDWAJ: I do'nt think on small matters we should differ. There is no difference on this ...(*Interruptions*)...

SHRI EKANATH K. THAKUR:*

श्री सभापति: आप बैठिए...आप बैठिए। ...(व्यवधान)... एक सेकेंड भी नहीं। आप पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आपको पांच सेकेंड दे दूंगा। ...(व्यवधान)... बैठिए, मैं allow नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं आपको allow नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... एक ही दिन की हाऊस बैठा है, आप बैठ जाइए। इनको बोलने दीजिए, आपका कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा।

SHRI EKANATH K. THAKUR:*

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I am assuring you that we are studying what the rule has said, and I also know that it was in February, the earlier Government has been given this Report, but even if there is a delay, we have to explain to the House, and we will present it. All that, the ATR and the reasons for delay, will be explained, and before the conclusion of the Session, at the appropriate time, we will come with the Report and explain it.

श्री सभापति: कितना टाइम लेंगे आप इसमें?

श्री हंसराज भारद्वाज: सर, इसको अभी मिनिस्ट्रीज में जाना है। जल्दी से जल्दी हम इसको...

श्री सभापति: देखिए, मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट के हिसाब से चल रहा हूं।

---

* Not recorded

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I have already asked my people to prepare it. Two Ministries are involved, Defence and DoP. We will get the feedback, and as early as possible, once we are committed, we will come back to you.

श्री सभापति: अभी यह तैयार नहीं हुई है?

SHRI H.R. BHARDWAJ: No; absolutely, because it was lying in a sealed cover. Now, the House has taken it up; we are working on it. We are working on it speedily. We are not running away from the House. We said ...(*Interruptions*)...

श्री प्रमोद महाजन: सर, इनको कवर ओपन करने का भी टाइम नहीं है? कवर फाड़ने का भी टाइम नहीं है?

श्री हंसराज भारद्वाज: अगर आप चाहते हैं तो ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: अभी अरुण जेटली जी ने आपको बताया कि क्या कानून है और आप कैसे सदन में कह सकते हैं कि कानून मंत्री को कानून की जानकारी नहीं है?

श्री हंसराज भारद्वाज: कानून की जानकारी आपसे ज्यादा है। यह रिपोर्ट सदन की टेबल पर ... (**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: यह दो महीने में क्यों नहीं आई? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिए ... बैठिए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, you have already taken up the case. Why are they bothering about it?

श्री सभापति: बैठिए ... बैठिए... अब प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे।

STATEMENTS BY PRIME MINISTER

Recent Visits of Chinese Premier and President of Pakistan

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, I rise to inform the hon. Members of two important visits to our country in the last two weeks.

Sir, Premier Wen Jiabao of China paid a State visit to India from April 9-12, 2005. The visit was substantive in its outcome. Premier Wen has himself described it as 'historic'.